संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 21 अगस्त, 2015

विषय- पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या-2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनॉक 27-04-2012 का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 28-04-2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 27-04-2012 को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये, जिसका कार्यकारी अंश (Operative Portion) निम्नानुसार है-

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule-8A shall remain undisturbed."

3 मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त वर्णित आदेश के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा निम्नांकित शासनादेशों के माध्यम से दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं-

I- शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनॉक 28-04-2012

II- शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनॉक 08-05-2012

III- शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनॉक 13-05-2012

4 उक्त वर्णित शासनादेश दिनॉक 08 मई, 2012 तथा 13 मई, 2012 के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

5 उक्त वर्णित शासनादेश दिनॉक 28 अप्रैल, 2012 में यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नति प्राप्त कर्मियों के संबंध में जब तक कोई

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्देश प्रसारित न कर दिये जायें, तब तक पदावनति की कार्यवाही न की जाये।

6 सम्यक् विचारोपरान्त पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं 15-11-1997 के बाद प्रोन्नत कर्मियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनॉक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाये। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 08-05-2012 एवं 13-05-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनॉक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8क का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाये।

(ख) पदावनत किये जाने पर, आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रहीं परिलब्धियॉ(मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियॉ तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अंतर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियॉ तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियॉ इसके बराबर या इससे अधिक न हो जायें।

(ग) आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएँ प्राप्त करेंगे।

(घ) पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(च) अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मॉग नहीं की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं।

(छ) उपरोक्तानुसार पदावनति किये जाने के परिणामस्वरूप जो रिक्तियॉ उपलब्ध होंगी, उन पर उक्त

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

7 उपरोक्त प्रस्तर-6 में वर्णित सीमा तक उक्त संदर्भित शासनादेश दिनॉक 28-04-2012 संशोधित समझा जायेगा।

8 कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-8/4/1/2002(1)टी0सी0-1-का-2/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त शासनादेश की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें-

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2 प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4 सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in